

प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2023/123/ 511

दिनांक : 14.09.2023

सेवा में,  
श्रीमती अल्पना जैन,  
फ्लैट नंबर-502, हिंतावाला टॉवर,  
सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा,  
उदयपुर (राजस्थान.)-313001,

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में।


महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा दिनांक 10/08/2023 को प्रेषित पत्र, हमारे पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय में दिनांक 16/08/2023 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी से संबंधित जवाब इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलीय अधिकारी,  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2  
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,  
वडोदरा - 390 008 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,



(पंकज दलाल)  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
पश्चिम क्षेत्र - II, वडोदरा


संलग्न: - यथोपरि,

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे.-II), वडोदरा - सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.-II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.-II

आपके द्वारा दिनांक 10/08/2023 को प्रेषित पत्र (आरटीआई संख्या PGCIL/WRTS-II/2023/123) से संबंधित चाही गयी जानकारी का उत्तर इस प्रकार है:-

क्र.	आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
1	यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या 4 में वर्णित तथाकथित आरुषि जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।	आपके द्वारा मांगी गई जानकारी है से यह स्पष्ट होता है कि इसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है अतः आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अनुसार यह जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।
2	यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय अधिकारी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या-4 में वर्णित तथाकथित आरुषि जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये सभी जवाब की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।	

  
 14/09  
 2023

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
 पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

प्रार्थना पत्र द्वारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- 1 कार्यालय  
कार्यालय कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र-।।)  
पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,  
समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड- 390008
- 2 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम व पता-  
कार्यपालक निदेशक (पश्चिम क्षेत्र-।।)  
पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
प्लाट संख्या 54, रिया रेवती रिसोर्ट के पास, अम्बे विद्यालय के सामने,  
समा सावली रोड़, वडोदरा (गुजरात) पिनकोड- 390008
- 3 आवेदक/प्रार्थीया का नाम व पता-  
अल्पना जैन पत्नी श्री अनिल जैन  
पत्र व्यवहार का पता- फ्लेट नम्बर 502, हिंतावाला टॉवर  
सेलिब्रेशन मॉल के पास, भुवाणा, उदयपुर (राजस्थान) 313001
- 4 दूरभाष-
- 5 आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक- 10.08.2023
- 6 आवेदन पत्र शुल्क- 10/-रुपये का पोस्टल ऑर्डर नम्बर 57F 554614
- 7 चाही गयी जानकारी/प्रमाणित प्रतिलिपी का विवरण-  
ए- यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या 4 में वर्णित तथाकथित आरूषी जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।  
बी- यह कि कार्यपालक निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड वडोदरा के प्रथम अपील आदेश दिनांक 03.08.2023 की कलम संख्या 4 में वर्णित तथाकथित आरूषी जैन के नाम से विगत तीन वर्ष में प्राप्त 15 आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया सभी जवाब की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

*Depos*

श्री विकास  
अध्यक्ष अर्थव्यवस्था  
17/08/2023